न्यायालय विशेष न्यायाधीश ,(एस0सी0 / एस0टी0एक्ट),लखनऊ।

उपस्थितः जगन्नाथ मिश्र, एच0जे0एस0।

सत्र परीक्षण संख्या–422 / 2007

सी0एन0आर0 नं0 यू.पी.एलकेओ.1000250–2007

सरकार .....अभियोजक

बनाम

1–भगवान बक्श यादव पुत्र शत्रोहन यादव निवासी सरसवॉ, थाना बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ। .

..... अभियुक्त।

अपराध संख्या–08 / 07
अंतर्गत धारा–302, भा0दं0सं0
व धारा 3(2)(v)एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट
व अ0सं0 14 / 07
अंतर्गत धारा 3 / 25 आर्म्स ऐक्ट
थाना–बक्शी का तालाब,
जनपद लखनऊ।

निर्णय

1. अभियुक्त भगवान बक्श यादव पुत्र शत्रोहन यादव निवासी सरसवॉ थाना बी0के0टी, जिला–लखनऊ के विरूद्ध आरोपपत्र थाना बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ की पुलिस द्वारा अ0सं0 8 / 2007, अंतर्गत धारा–302 भा0दं0सं0 व धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व अ0सं0 14 / 07 अंतर्गत धारा 3 / 25 आर्म्स ऐक्ट में अलग–अलग प्रेषित किया गया है, जिसे अवर न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मनोहर ने थाना हाजा पर इस आशय का मुकदमा पंजीकृत कराया कि दिनांक 16.1. 2007 को उसके गांव के रामनरेश यादव के लड़के जय सिंह यादव का तिलक समारोह हो रहा था। उसका लड़का फूलचन्द्र रैदास समारोह देखने गया था। समय करीब 8 बजे शाम उसके गांव के भगवान बक्श यादव पुत्र सत्रोहन यादव अपने हाथ में अध्धी तमंचा नाजयाज लेकर आया व अपने तमंचे से जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जो उसके लड़के फूलचन्द्र के लग गयी और चोट खाकर गिर गया। वह गांव वालों की मदद से अपने लड़के फूलचन्द्र को इलाज हेतु ट्रामा सेंटर लखनऊ ले गया। इलाज के दौरान उसके लड़के फूल चन्द्र की मृत्यु करीब 3.30 बजे प्रातः हो गयी। इस घटना को वह तथा उसके गांव के राम प्रकाश पुत्र मनोहर व गोपाल पुत्र गनपत व सुन्दर पुत्र घसीटे तथा गांव के बहुत से लोगों ने देखा। भगवान बक्श यादव ने कहा कि यदि कोई कार्यवाही करोगे तो साले चमारो तुम्हे देख लॅूगा। उसके लड़के की लाश ट्रामा सेंटर लखनऊ में है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उसकी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करें। वादी की लिखित

तहरीर के आधार पर थाना बी0के0टी0 में अपराध संख्या–08/07, अं0धारा–302 आई0पी0सी0 व 3(2)(v) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना दि0 2.2.2007 को तलाश वांछित अपराधीगण में थाने की पुलिस मामूर थी, कि उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि सरसवां गांव मर्डर के अभियुक्त भगवान बक्श यादव पहाड़पुर चौराहे पर कहीं जाने के लिए सवारी के इंतजार में खड़ा है, जिस पर विश्वास करके पुलिस कर्मचारीगण मौके पर पहुंचे, कि अभियुक्त उन्हें देखकर भागने लगा, तो दौड़ाकर वे उसे पांच बजे प्रातः पकड़ लिये और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भगवान बक्श बताया, और जामा तलाशी ली गयी, तो उसके कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 12 बोर तथा पैंट के पहने दाहिने जेब से एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस नं0 1 का बरामद हुआ, जिसके रखने के बारे में पूछा गया तो मॉफी मांगते हुए बताया कि साहब यह वही तमंचा है जिससे दिनांक 16.1.07 की रात में जय सिंह के तिलक में उसने फूलचन्द्र को गोली मारी थी। बरामद तमंचे व खोखा कारतूस, व एक जिन्दा कारतूस को कब्जे पुलिस में लेकर अभियुक्त को इसके बारे में जुर्म धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराया गया। मौके पर फर्द लिखा गया। जिसे पढकर बोलकर सुनाकर उस पर अभियुक्त व गवाहों के दस्तखत कराये गये। बरामद माल को मौके पर सील मोहर किया गया। बरामद असलहा तमंचा कारतूस के आधार पर थाने पर अ0सं0 14/2007 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

3. धारा 302 आईपीसी व 3(2)(v) अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 से संबंधित मामलें की विवेचना सी0ओ0 बी0के0टी0 द्वारा किया गया और उनके द्वारा गवाहों के बयान, नक्शा नजरी व समस्त औपचारिकताओं को पूरी करने के उपरांत अभियुक्त भगवान बक्श यादव के विरूद्ध आरोप पत्र अं0धारा 302 आई0पी0सी0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर न्यायालय में प्रेषित किया गया। धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट से संबंधित मामले की विवेचना एस0आई0 आशीष कुमार भदौरिया, थाना बीकेटी द्वारा किया गया। उनके द्व ारा उक्त धारा से संबंधित फर्द बरामदगी के आधार पर नक्शा नजरी तैयार किया और वाद विवेचना आरोपपत्र धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट में प्रेषित किया गया।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त को आहूत किया गया। अभियुक्त को धारा 207 दंप्रसं के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों की प्रतियॉ दी गयी। मुकदमा विशेष सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। मा0 सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रकरण एससी/एसटी ऐक्ट से

संबंधित होने के कारण इस न्यायालय में पत्रावली अंतरित की गयी।

5. इस न्यायालय में अभियुक्त उपस्थित आया। अभियुक्त भगवान बक्श यादव के विरूद्व दिनांक 3.11.2007 को धारा–302,आई0पी0सी0 व धारा 3(2)5 एस0सी0 /एस0टी0 ऐक्ट एवं धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट विरचित किया गया तथा दिनांक 01.09.2017 को संशोधित आरोप धारा 3/25/27(1) आयुध अधिनियम का विरचित किया गया। आरोपों से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

6. अभियोजन की ओर से अपने अभिकथनो को साबित करने के लिए **पी0डब्लू0–1 सुन्दर लाल, पी0डब्लू0 2 राम गोपाल, पी0डब्लू0–3 राम प्रकाश, पी0डब्लू0 4 डा0 टी0के0अग्रवाल, पी0डब्लू05 सुनील कुमार, पी0डब्लू0 6 का0 सदगुरू प्रसाद, पी0डब्लू0 7 चन्द्र प्रकाश, पुलिस अधीक्षक, पी0डब्लू0 8 राम साहब यादव, पी0डब्लू0 9 आशीष कुमार भदौरिया** को परीक्षित कराया गया है। वादी मुकदमा की मृत्यु होना बताया गया।

7– साक्ष्य अभियोजन समाप्त करने के उपरांत अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दंप्रसं अंकित किया गया। 313 के बयान में अभियुक्त ने गवाहों के बयान को गलत बताया तथा झूठी गवाही देना कहा एवं विवेचक द्वारा गलत विवेचना तथा रंजिशन फसाया जाने एवं निर्दोष होने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है। परन्तु आदेशपत्र दि0 6.1.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त की तरफ से यह कहा गया कि उसे कोई सफाई साक्ष्य नही देना है। इस प्रकार उसके द्वारा कोई सफाई साक्ष्य नही दिया गया।

8. मैंनें विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को भलीभांति सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्र, गवाहों के बयान आदि का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

9. अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू01** सुन्दर लाल ने शशपथ बयान किया है कि पिछले साल 16 तारीख को उसके गॉव में राम नरेश यादव के लड़के जय सिंह का तिलक था। तिलक में वह भी गया था। तिलक में कुछ लोग बंदूक से खुशी में फायर कर रहे थे। अचानक जनरेटर की लाइट चली गयी। उसी में फायर फूलचन्द को लग गया। फूलचन्द को ट्रामा सेन्टर ले गए जहॉ उसकी मृत्यु हो गयी। फूलचन्द को किसकी गोली लगी उसे नहीं पता। फूलचन्द के पिता मनोहर फूलचन्द के मरने के करीब चार माह के बाद बीमारी से खत्म हो गये। मृतक फूलचन्द का पंचनामा उसके सामने हुआ था। जिस पर उसने निशानी अंगूठा लगाया था।

10. पी.डब्लू2 रामगोपाल ने न्यायालय में सशपथ बयान किया है कि मनोहर के लड़के फूलचन्द का कत्ल हुआ था। कत्ल हुए साल भर हो गये।

उसके गांव में नरेश के घर उनके लड़के का तिलक था। लगभग रात 8–9 बजे के बीच की घटना है। तिलक में उसका न्योता नही था वह अपने घर खाना खाकर सोने के लिए विस्तर लगा रहा था। इतने में सुनील चिल्लाता हुआ आया कि फूलचन्द को गोली लग गयी। वह गोली चलाते किसी को नही देखा था। फूलचन्द को उठाकर वह लोग ट्रामा सेंटर ले गये। उसकी समझ में वह गांव में ही खत्म हो गया था।

11. **पी.डब्लू3 राम प्रकाश पुत्र मनोहर** ने न्यायालय में सशपथ साक्ष्य दिया है कि पिछले साल 16 जनवरी को रात 8.00 बजे फूलचन्द की हत्या हुई थी। फूलचन्द उसका छोटा भाई था। वह लोग गॉव में ही जय सिंह के तिलक देखने गये थे वहां पर भगवान बक्श ने सामने से फूलचन्द को गोली मार दी। भगवान बक्श ने उसके पिता से 20,000 रुपये उधार लिये थे। इसी रंजिश से भगवान बक्श ने उसके छोटे भाई फूलचन्द को गोली मार दी। नरेश के घर के सामने भगवान बक्श ने फूलचन्द को गोली मारी थी। वह अपने चचेरे भाई गोपाल, सुन्दर व रमेश के साथ फूलचन्द को लेकर ट्रामा सेंटर लखनऊ लाये थे। जहां फूलचन्द की मृत्यु हो गयी। उसके पिता ने घ ाटना की रिपोर्ट लिखाई थी। फूलचन्द के गम में पाचवें महीने में उसके पिताजी भी खत्म हो गये। फूलचन्द का पंचनामा उसके सामने हुआ था। पंचनामा पढ़कर सुनाया गया तो उस पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है। जिसपर प्रदर्श का 1 डाला गया है। जय सिंह के यहां अपना न्योता होना बताया है। तथा उसके पिता जी का न्योता नहीं था। सरकारी लाईट जल रही थी। जनरेटर नहीं था। ट्रांसफार्मर लखन लाल के खेत में लगा था। नरेश के घर से मुन्ना का घर लगभग 50 मी. दूर होगा। लड़की वाले जो तिलक चढ़ा रहे थे वे फायरिंग नहीं कर रहे थे। गोले खण्डहर में दग रहे थे। यानी रामनरेश के घर के बगल में गोले दग रहे थे। देशी गोले दग रहे थे। घटना के वक्त पिता जी मौजूद नही थे। दरोगा जी मौके पर आये थे। उसने और उसके पिता ने मौका दिखाया था।

12. **पी0डब्लू0 4 डा0 टी.के. अग्रवाल** ने न्यायालय में शपथपूर्वक साक्ष्य दिया है कि दिनांक 17.01.2007 को वह हैसियत वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर डा0 आर.एम.एल हास्पिटल गोमती नगर में तैनात थे। उस तिथि को समय दो बजे मृतक फूलचन्द का पोस्टमार्टम किया था। जिसे कांस्टेबल नम्बर 2351 सहीम खान थाना चौक लेकर आये थे और उसकी शिनाख्त किया था।

वाह्य परीक्षण में मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व अकडन शरीर के उपरी हिस्से में मौजूद थी। निचली टांगों में शुरु हो रही थी। मृत्यु के पश्चात का कालापन पीठ के पीछे मौजूद था। मृतक के शरीर पर हास्पिटल की पट्टियां

बधी थीं। मुहं आधा खुला हुआ था। मृत्यु पूर्व आयीं चोटें मल्टिपुल अग्नेयास्त्र के घुसने से घाव मौजूद थे। 10X12 सेंटीमीटर क्षेत्र में। चेहरे तथा सिर के बायीं ओर। सबसे छोटे घाव का साईज 0.5X0.5 सेंटीमीटर X हड्डी तक गहरी थी। सबसे बड़े घाव का साईज 2X2 सेंटीमीटर X दिमाग के कैविटी तक गहरा था। घाव के किनारे अन्दर की तरफ मुडे हुए थे और अनियमित थे। घाव के किनारे खरास थी, चारो तरफ। घाव को खोलने पर घाव के नीचे खून मौजूद था। बायीं टेम्पोरल और पैराइटल हड्डिया टूटी हुई थी। मस्तिष्क व ऊपरी झिल्लयां लेसेरेटेड थी और ब्रेन के ऊपर चारो ओर सबड्यूरल हेमोरोमा मौजूद था चेहरे की बायीं साइट की मसिल से तथा ब्रेन मैटर से 40 धातु की छर्रे व एक वेट पीस निकला था। जिसको डबल सिलकर के एस.एस.पी. लखनऊ को कांस्टेबल के माध्यम से भेजा गया था। जो शव को लाया था।

आन्तरिक परीक्षण– फेफडा और उसकी झिल्लयां कन्जेस्टेड थी। हृदय बायीं ओर खाली था और दाहिना चैम्बर भरा था। आंत 16/16 थे। आमाशय में 160 एम.एल अधपचा भोजन मौजूद था। लीवर, पैंक्रियाज, तिल्ली, गुर्दे सभी कन्जेस्टेड थे।

साक्षी ने कहा है कि उसकी राय में मृत्यु का कारण कोमा था जो कि उपरोक्त मृत्यु पूर्व फायर आर्म चोटो से आया होगा। साक्षी ने शव परीक्षण आख्या अपने द्वारा तैयार करना बताया है। और उसपर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है जिसपर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

13– पी.डब्लू.5 अनिल कुमार उप निरीक्षक ने सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 17.01.2007 को चौकी इंचार्ज मेडिकल कालेज थाना चौक के पद पर तैनात थे। सिक अटेंडेट सुमित कुमार द्वारा दी गयी मृत्यु सूचना मृतक फूलचन्द पुत्र मनोहर निवासी सरसवां थाना बी.के.टी लखनऊ लायी गयी। जिसकी आमद रपटनंबर 3 समय 08.40 पर दिनांक 17.01.2007 को दाखिल किया गया। इस जी.डी की कार्बन कापी तैयार की गयी है। जिसे चौकी पर तैनात सलीम खान द्वारा तैयार किया गया था। जो शामिल मिसिल है। जिसपर **प्रदर्श क–3** डाला गया। सी.एम.ओ चिट्ठी सलीम खान को बोलकर लिखाया था, जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। जो शामिल मिसिल है। **प्रदर्श क–4** डाला गया। चालानी नाश व फोटो नाश उसने उक्त कानेस्टेबिल से बोलकर लिखाना बताया है, जो शामिल मिसिल है। जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। उक्त पर **प्रदर्श क–5 व क–6** डाला गया। पंचनामा को मेडिकल कालेज में शव गृह के पास उसके परिजनो की उपस्थित में तैयार करना कहा है, जिस पर **प्रदर्श क–1** पड़ा है। उक्त को उपरोक्त कान्स्टेबिल को बोल बोल कर लिखवाना बताया है। जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है।

14. पी0डब्लू0 6 कां0 सद्गुरू प्रसाद ने न्यायालय में सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 17.1.2007 को वह उसी पद पर थाना बीकेटी में तैनात थे। उस दिन वादी मनोहर के तहरीर के आधार पर चिक एफआईआर सं0 7/07 हपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करना कहा है जो शामिल मिसिल है। उक्त को न्यायालय में तस्दीक किया है। जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। साक्षी ने आगे कहा है कि कायमी इन्द्राज रपट नं0 समय 6.30 दिनांक 17.1.07 को थाना बीकेटी में अंकित किया था, जिसकी कार्बन कापी एक ही प्रक्रिया में तैयार कियाथा जो शामिल मिसिल है। जिसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होना स्वीकार किया है। उक्त पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।

15. पी0डब्लू0 7 श्री चन्द्र प्रकाश, पुलिस अधीक्षक, ने न्यायालय में सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 17.1.07 को सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी बीकेटी में तैनात थे। उन्होने उस दिन मुकदमा अ0सं0 8/07 धारा 302 आई0पी0सी0 एवं 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट की विवेचना ग्रहण करना कहा है। उसने मुकदमे से संबंधित केस डायरी व अन्य अभिलेख अपने दिशा निर्देश में अपने कार्यालय के हेड पेशी से बोल बोल कर लिखाने का कथन किया है। उसी दिन वादी का बयान लेना बताया है। तथा वादी की निशादेही पर घटनास्थल का मुवाईना करके नक्शा नजरी अपने कार्यालय के हेड पेशी से बनवाना बताया है। जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। उक्त पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। उसी दिन एफआईआर लेखक सतगुरू प्रसाद का बयान लिया। दिनांक 21.1.07 को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट व पंचनामा का तस्किरा अंकित किया। एफआईआर गवाह राम प्रकाश, रामगोपाल, पंचनामा गवाह रमेश दिनेश, एसआई अनिल कुमार राय व कां0 सादिक खॉ का बयान अंकित करना बताया है। दिनांक 2.2.2007 को अभियुक्त भगवान बक्श सिंह जिसे एसओ द्वारा गिरफतार किया गया था तथा बरामद एक अदद तमंचा एवं एक अदद खोखा कारतूस का तस्किरा अंकित किया गया तथा अभियुक्त भगवान बक्श का बयान लिया। दि0 5.2.07 को बरामदगी का तसकिरा अंकित कर फर्द बरामदगी आला कत्ल के गवाह राम साहब यादव व हेड0का0 रवि नाथ शुक्ला व अन्य का बयान अंकित करना बताया है। अंत में समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र सं0 16/07 उक्त धाराओं में हेड पेशी से अपने मार्ग दर्शन में तैयार करवाना बताया जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। उक्त पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। साथ ही दिनांक 9.4.2007 को एससीडी नं0 1 के माध्यम से विशेषज्ञ की रिपोर्ट का तस्किरा अंकित करना कहा है।

16. पी0डब्लू0 8 निरीक्षक रामसाहब यादव ने न्यायालय में सशपथ साक्ष्य दिया है कि दिनांक 2.2.07 को वह बतौर थानाध्यक्ष बीकेटी तैनात थे। उस दिन अपने हमराहियान रवीन्द्र नाथ शुक्ला, राम किशोर, राम जी पाल,

सरकारी गाड़ी मय चालक के तलाश वांछित अपराधी वह भैसामऊ मोड़ पर थे। वही पर मुखबिरखास ने उन्हें बताया कि सरसवां मर्डर का वांछित अभियुक्त भगवान बक्श यादव पहाड़पुर चौराहे पर मौजूद है। जिस पर विश्वास करके वे लोग वहॉ पहुंचे। चौराहे पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ा जो कि पुलिस वालों को देखकर सरसवा नहर के रास्ते से भागा। दौड़ाकर 35–40 कदम पर उसे प्रातः पांच बजे पकड लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भगवान बक्श बताया उसके पहने पैंट की दाहिनी जेब से खुसा हुआ एक तमंचा 12 बोर तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक खोखा व एक कारतूस जिन्दा मिला। लाईसेंस मांगने पर दिखा नही सका। पूछने पर बताया कि उक्त तमंचे से उसने दिनांक 16.1.07 को रात्रि में जय सिंह के तिलक में उसने फूल चन्द्र को गोली मारी थी। मौके पर हमराहियान के समक्ष फर्द लिखकर उन्हें पढकर सुनाकर गवाही बनवायी गयी। फर्द उसने बोलकर एसआई रवीन्द्रनाथ शुक्ला से लिखायी थी, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। उक्त पर प्रदर्श **क–11** डाला गया। बरामदसुदा तमंचा को न्यायालय में खोलने पर गवाह ने कहा कि यह वही तमंचा है जो अभियुक्त भगवान बक्श के पास से मौके पर बरामद हुआ था। इस पर क्रमशः **वस्तु प्रदर्श 1, 2** तथा कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श 3** डाला गया।

17. **पी0डब्लू0 9 एस0आई0 आशीष कुमार भदौरिया** ने न्यायालय में सशपथ साक्ष्य दिया है कि वह दिनांक 2.2.07 को उपनिरीक्षक थाना बीकेटी में तैनात थे। उक्त तिथि को उसने अ0सं0 14/07 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट की विवेचना ग्रहण किया। साक्षी ने अभियुक्त के पास से बरामद असलहों के स्थान का नक्शा नजरी अपने द्वारा तैयार किया जाना कहा है। जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। उक्त पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। साक्षी ने दौरान विवेचना असलहो की बरामदगी के संबंध में अभियोजन स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना बताया, जिस पर डी0एम0 के हस्ताक्षर की पुष्टि की है। उक्त पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर **प्रदर्श क–14** डाला गया।

18. अभियुक्त भगवान बक्श के वियद्ध धारा 3/25/27 आर्म्स ऐक्ट का आरोप विरचित किया गया है। इस संबंध में अभियोजन पक्ष का यह कथन है कि दिनांक 02.02.2007 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सरसवां कत्ल का वांछित अभियुक्त भगवान बक्श सिंह पहाड़पुर चौराहे पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस बल पहुंची। चूॅकि चौराहे पर मौजूद व्यक्ति पुलिस को देखकर भागा, तो उसे दौड़ाकर 35–40 कदम की दूरी पर पकड़

लिया गया। उसने अपना नाम भगवान बक्श यादव बताया और जामा तलाशी लेने पर पहने हुए पैंट की दाहिनी जेब से खुशा हुआ एक तमंचा 12 बोर तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक कारतूस जिन्दा मिला। पूछने पर उसने बताया कि इसी तमंचे से उसने दिनांक 16.1.2007 की रात्रि जय सिंह के तिलक में फूलचन्द्र को गोली मारी थी। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की तरफ से पी0डब्लू0 8 राम साहब यादव निरीक्षक, क्राइम ब्रांच कुशीनगर को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि मुखबिर की सूचना पर वे अन्य हमराहियों के साथ पहाड़पुर चौराहे पर पहुंचे। पुलिस को देखकर अभियुक्त भागा। प्रातः पांच बजे उसे पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम भगवान बक्श यादव बताया तथा उसके पास से एक तमंचा 12 बोर और एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

19— पी0डब्लू0 9 आशीष कुमार राय को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के मुकदमे का विवेचक है। इसके द्वारा नक्शा नजरी साबित किया गया है जो प्रदर्श क—12 है तथा अभियोजन स्वीकृति आदेश को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाना बताया है और उसे साबित किया है। जो प्रदर्श क—13 है। आरोपपत्र प्रदर्श क—14 को भी साबित किया है। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क—13 में यह उल्लेख है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा आरमोरर की आख्या का अवलोकन किया गया, परन्तु पत्रावली में आरमोरर की कोई आख्या नही है।

20— पी0डब्लू0 8 राम साहब यादव के कथनानुसार अभियुक्त अभियुक्त भगवान बक्श यादव ने स्वयं यह बताया था कि जय सिंह के तिलक के दिन उसने फूलचन्द्र की इसी कट्टे से हत्या की थी। इस साक्षी के अतिरिक्त इस संबंध में तथ्य का कोई अन्य साक्षी परीक्षित नही कराया गया है। इस संबंध में मात्र अभियुक्त का बयान ही है कि उसने इसी कटटे से फुलचन्द्र की हत्या किया था।

'' **बूटा सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब, 1997, सुप्रीम कोर्ट केसेज(कि.) 1217**'' के मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि कोई कटटा अभियुक्त के पास से बरामद होता है और इस संबंध में जबतक कोई विशेषज्ञ की राय, जैसे बैलेस्टिक एक्सपर्ट की राय या आरमोरर की राय नही ली जाती है कि कटटा चालू हालत में था या नही, तब तक बरामदसुदा आयुध आर्म, एम्यूनिशन या फायर आर्म की परिभाषा में नही आयेगा।

21— वर्तमान प्रकरण में जो कट्टा अभियुक्त के पास से बरामद हुआ है, उसे किसी विशेषज्ञ राय (ओपिनियन) के लिए नही भेजा गया है। चूँकि कोई एक्सपर्ट राय इस संबंध में नही लिया गया है कि कटटा चालू हालत में

था या नही, ऐसी स्थिति में धारा 3/25/27 आर्म्स ऐक्ट का आरोप संदेह से परे साबित नही होता है।

22— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया है। इस संबंध में जहॉ तक घटना के समय का प्रश्न है, इस संबंध में एफ0आई0आर0 प्रदर्श क—7 में घटना का समय दिनांक 16—1—2007 को 8 बजे शाम की बताया गया है। पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश ने अपने बयान जो कि दिनांक 14.2.08 को दर्ज कराया है में यह सशपथ बयान दिया है कि पिछले साल 16 जुलाई को रात 8 बजे फूलचन्द्र की हत्या हुई थी। फूलचन्द्र उसका छोटा भाई था। वह लोग गांव में जय सिंह के यहॉ तिलक देखने गये थे। वहॉ पर भगवान बक्श यादव ने सामने से फूलचन्द्र को गोली मार दी थी। पी0डब्लू0 1 सुन्दर लाल, जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है, उसने भी अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में इतना स्वीकार किया है कि पिछले साल 16 तारीख को उसके गांव के नरेश यादव के लड़के जयसिंह का तिलक था। वह भी तिलक में गया था। कुछ लोग बंदूक से खुशी में फायर कर रहे थे। अचानक जनरेटर की लाइट चली गयी, उसी में फायर हो गया, जिसमें फूलचन्द्र की मृत्यु हो गयी। इस प्रकार तथ्य के इन दोनों साक्षियो के बयानो से घटना के समय में कोई अंतर नही है।

23— जहॉ तक घटनास्थल का प्रश्न है, तो इस संबंध में चिक एफआईआर प्रदर्श क—7 में यही कथन है कि घटना के समय राम नरेश यादव के लड़के जय सिंह का तिलक था। तिलक देखने फूलचन्द्र गया था। उसके गांव के भगवान बक्श यादव ने तमंचा से गोली मार दिया। इलाज हेतु ट्रामा सेंटर ले जाया गया,जहॉ दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार चिक एफआईआर के अनुसार घटना स्थल राम नरेश यादव के लड़के जय सिंह के तिलक समारोह का बताया गया है। पी0डब्लू0 3 राम प्रसाद ने भी इसी प्रकार का कथन अपने सशपथ बयान में किया है। पी0डब्लू0 1 सुन्दर ने भी तिलक समारोह के दौरान फायर होना बताया है। विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गया है जो कि प्रदर्श **क—9** है। उसमें राम नरेश यादव का मकान दक्षिण दिशा में बताया गया है तथा उसके उत्तर राम शंकर यादव का खण्डहर है। नक्शा नजरी में ''**ए**'' स्थान पर तिलक समारोह तथा बी स्थान जो खण्डहर राम शंकर यादव के सामने है, पर अभियुक्त द्वारा फूलचन्द को गोली मारना बताया गया है। इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घटनास्थल में अन्तर है। न्यायालय के मत में घटना स्थल में कोई अंतर नही है, क्यों कि तिलक या शादी विवाह का जो समारोह होता है, उसमें 2—4 आदमी नही रहते हैं, बल्कि कम से कम 100—200 आदमी की उपस्थिति होती है और वे गांव घर में एक दूसरे के मकान के सामने तक खड़े या बैठे रहते हैं। इस प्रकरण में भी यद्यपि गोली

मारने का स्थान '' **बी** '' अक्षर से प्रदर्शित किया गया है जो कि राम शंकर यादव के खण्डहर के सामने है। परन्तु राम शंकर यादव का खण्डहर और राम नरेश का मकान सटा हुआ है, ऐसी स्थिति में तिलक समारोह के दौरान आदमी वहॉ तक खड़े या बैठे रहे होगें। इस प्रकार घटना स्थल में कोई भिन्नता नही पायी जाती है।

24– अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित किया गया है। धारा–302 भा0दं0सं0 में हत्या को परिभाषित किया गया हैः–

1–**300.Murder**.- Except in the cases hereinafter excepted, culpable homicide is murder, if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, or -

Secondly- If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, or

Thirdly.- If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, or

Fourthly.- If the person commiting the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probability, cause death or such bodily injury as is likely to cause death, and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid.

25– अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षी के रूप में पी0डब्लू0 1 सुन्दर लाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि उस दिन वह भी तिलक में गया था। कुछ लोग बंदूक से खुशी में फायर कर रहे थे। अचानक जनरेटर की लाइट चली गयी उसी समय फायर फूलचन्द को लग गयी। उन्हें ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहॉ उनकी मृत्यु हो गयी। यह साक्षी यद्यपि पूर्णरूपेण घटना का समर्थन नही किया है, किन्तु इस साक्षी ने इतना स्वीकार किया है कि फूलचन्द्र को गोली लगी थी और गोली राम नरेश यादव के लड़के जय सिंह के तिलक समारोह में लगी थी। अभियुक्त की तरफ से इस साक्षी से जिरह किये जाने पर जब यह पूछा गया कि अभियुक्त भगवान बक्श तिलक में मौजूद नही था, तो इस साक्षी ने कहा कि वह सबको नही देखते फिरता था। **पी0डब्लू0 2 राम गोपाल** ने तो अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि तिलक में उसका न्यौता नही था, वह खाना खा कर सोने के लिए बिस्तर डाल रहा था, तब सुनील के चिल्लाने पर पता चला कि फूलचन्द को गोली लग गयी है। **पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश** जो कि मृतक फूलचन्द्र का भाई है ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि फूलचन्द्र उसका छोटा भाई था तथा वह लोग जय सिंह का

तिलक समारोह देखने गये थे। अभियुक्त ने उसके पिता से बीस हजार रूपये उधार लिया था, इसी रंजिश के कारण फूलचन्द को गोली मार दिया। फूलचन्द्र को लेकर ट्रामा सेन्टर ले जाया गया, जहॉ उसकी मृत्यु हो गयी। यह साक्षी पंचनामा का भी गवाह है तथा इसने पंचनामा **प्रदर्श क–1** को भी साबित किया है। **प्रदर्श क–1** पंचनामा दिनांक 17.1.07 को 8.40 से लेकर 10 बजे के मध्य सम्पन्न हुआ था। पंचनामा में राय पचांन यह दिया गया है कि दिनांक 16.1.07 को शाम करीब 6 बजे गांव के राम नरेश के लड़के जय सिंह के तिलकोत्सव में कुछ लोग अपने अपने बंदूक से फायर कर रहे थे। एक गोली मृतक के सिर में लगी जिससे वह घायल हो गया था और उसे मेडिकल कालेज लाया गया, दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकरण में प्र0सू0रि0 दि0 17.1.07 को समय करीब 6.30 बजे प्रातः पर दर्ज की गयी है एवं पंचनामा दि0 17.1.2007को 8.40 बजे से 10.00 बजे के बीच सम्पन्न हुआ। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से इस संबंध में तर्क दिया गया कि यदि अभियुक्त द्वारा गोली मारी गयी थी तो पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश जो कि मृतक का भाई है, निश्चित रूप से पंचनामा में यह कहता कि अभियुक्त भगवान बक्श ने फूलचन्द को गोली मारी, लेकिन राम प्रकाश ने पंचनामा में इस प्रकार की कोई राय नही व्यक्त की है। न्यायालय के मत में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नही है क्यों कि पंचनामा कोई एफआईआर नही होती है, इसके अतिरिक्त राम प्रकाश के भाई का ही कत्ल हुआ था, और पंचनामा की कार्यवाही पुलिस द्वारा की गयी थी, एक ग्रामीण परिवेश का आदमी यह नही जान सकता है कि पुलिस द्वारा पंचनामा में क्या लिखा गया है। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश ने यह बयान दिया है कि भगवान बक्श अर्थात अभियुक्त ने बीस हजार रूपये उधार लिये थे, इसलिए गोली मार दी। यह कथन अविश्वसनीय है, क्योंकि वादी मुकदमा की खेती रेहन थी, मजदूरी करके वह घर का खर्च चलाते थे। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नही है, क्योंकि यह प्रकरण प्रत्यक्ष साक्ष्य का है और यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य (direct evidence) है, तो हेतुक का कोई महत्व नही रह जाता है। **क्रिमिनल अपील नं0 74/2013, रसूला देवी बनाम स्टेट आफ आन्ध प्रदेश, रिप्रजेन्टेड बाई पब्लिक प्राज्यूक्यूटर निर्णय दि0 25.2.2020** के मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामलों में हेतुक महत्वहीन है।

26– पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश ने जिरह के पेज 10 पर न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर यह बयान दिया है कि नॉद पर खड़े होकर ऊॅचे से फूलचन्द को गोली मारी है। तथा पुनः इसी पेज पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में यह कहा है कि फूलचन्द्र नॉद के नीचे खड़े थे। भगवान बक्श नाद

के ऊपर खड़े थे और वह नॉद के बगल में खड़ा था।

27— इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवेचक द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क—9 में कोई नाद का उल्लेख नही किया है। अभियुक्त के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नही है, क्योंकि यदि विवेचक द्वारा नक्शा नजरी में नाद का कोई उल्लेख नही किया गया है तो यह विवेचक की लापरवाही हो सकती है, परन्तु इससे अभियोजन कथानक के गुणदोष पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। **State of Karnataka vs Smt. Suvarnnamma & others,Crl. Appeal No. 785 of 2010,** निर्णय दि014.10. 2014 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि दौरान विवेचना कोई त्रृटि भी है,तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि पत्रावली पर जो सामग्री उपलब्ध हो,उसे देखे। यदि छोटी मोटी त्रुटियां भी हैं, तो उनकी अनदेखी किया जा सकता है।

28— पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश के द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह साबित है कि घटना के दिन राम नरेश यादव के लड़के जय सिंह का तिलक था। तिलक समारोह में वह तथा उसका भाई फूलचन्द गया था। अभियुक्त भगवान बक्श ने फूलचन्द्र को गोली मार दी। फूलचन्द्र को ट्रामा सेंटर ले जाया गया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गयी। पी0डब्लू0 1 सुन्दर लाल ने भी फूलचन्द को गोली लगना बताया है। पी0डब्लू0 4 डा0 टी0के0 अग्रवाल को भी परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि फूलचन्द्र के चेहरे व सिर पर 10X12 सेंमी0 क्षेत्र में बांयी ओर मल्टीपुल फायर आर्म के घुसने के घ ाव मौजूद थे तथा सबसे छोटा घाव .5 X.5 सेंमी0 हड्डी तक गहरा पाया गया था। इस साक्षी ने मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटे बताया है। इस प्रकार **पी0डब्लू0 4** डा0 टी0के0 अग्रवाल ने यह साबित किया है कि फूलचन्द्र की मृत्यु फायर आर्म की चोटें आने से हुई है। **पी0डब्लू0 5** एस0आई0 अनिल कुमार ने न्यायालय में साक्ष्य दिया है कि वह दि0 17.1.07 को पुलिस चौकी मेडिकल कालेज में तैनात थे, और सिक अटेंडेंट सुमित कुमार द्वारा दी गयी मृत्यु सूचना मृतक फूलचन्द्र की दी गयी थी, जिसका इन्द्राज जी0डी0 रपट नं0 3 समय 8.40 पर उक्त तिथि को दाखिल किया गया। जिसकी कार्बन कापी को एक ही प्रासेस में तैयार करना बताया है जो उसके साथ चौकी पर तैनात कां0 सहीम खॉ द्वारा तैयार किया गया था, उसे न्यायालय में साबित किया है जो **प्रदर्श क—3** है। सी0एम0ओ0 चिटठी को अपने हस्ताक्षर में होना बताया है जो **प्रदर्श क—4** है। चालानी लाश व फोटो लाश को उक्त कांस्टेबिल से बोलकर लिखवाना बताया है और उसे पढकर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है जिस पर प्रदर्श क 5 व क 6 को साबित किया है। पंचनामा को भी बोल कर उक्त कानेस्टेबिल से लिखवाना बताया है, जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है और न्यायालय में साबित

किया है। प्रदर्श क–1 है। **पी0डब्लू0 6** सदगुरूप्रसाद जो एफआईआर लेखक है, ने अपने द्वारा वादी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करना बताया है जिसकी चिक एफआईआर **प्रदर्श क 7** के रूप में न्यायालय में साबित किया है। इस साक्षी ने मुकदमा कायमी की जी0डी0 को भी **प्रदर्श क 8** के रूप में साबित किया है। **पी0डब्लू0 7 चन्द्र प्रकाश** पुलिस अधीक्षक ने वादी की निशा देही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी अपनी उपस्थिति में बनवाना कहा है और उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है जो **प्रदर्श क 9** है। साक्षी ने आरोपपत्र **प्रदर्श क–10** को भी न्यायालय में साबित किया है। जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि इस प्रकरण में तथ्य का एक मात्र साक्षी पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश है, इसके अतिरिक्त तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0 1 सुन्दर लाल व पी0डब्लू0 2 राम गोपाल ने घटना का समर्थन नही किया है तथा पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश का भी बयान विश्वसनीय नही है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक साबित नही है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नही है, क्योंकि फूल चन्द के साथ उसका भाई पी0डब्ल0 3 राम प्रकाश भी तिलक समारोह देखने गया था। पी0डब्लू0 3 राम प्रकाश द्वारा दिये गये साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा '' **अमर सिंह बनाम स्टेट आफ(एन.सी.टी. आफ देलही)किमिनल अपील नं0 336/2015, निर्णय दि0 12 अक्टूबर,2020**'' के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा–16 एवं 17 में यह अवधारित किया गया है कि एक ही साक्षी के बयान पर दोष सिद्ध करने में कोई बाधा नही है, यदि उस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय हो।

29- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त भगवान बक्श यादव के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 302, भा0दं0सं0 सपठित धारा 3(2)v एससी/एसटी ऐक्ट को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा धारा 3/25/27 (1) आर्म्स ऐक्ट के आरोप को साबित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्त धारा 302 भा0दं0सं0 सपठित धारा 3(2)v एससी/एसटी ऐक्ट में दोष सिद्ध किये जाने योग्य है तथा धारा 3/25/27 (1) आर्म्स ऐक्ट के आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>:–

अभियुक्त भगवान बक्श यादव को आरोप अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 सपठित धारा 3(2)v एससी/एसटी ऐक्ट में दोष सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। उसे अभिरक्षा में लिया जाये। तथा उसका वारंट बनाकर जेल भेजा जाये।

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.2.2021 को पेश

हो। दोष सिद्ध अभियुक्त भगवान बक्श यादव को 10.30 बजे न्यायालय में सुनवाई हेतु पेश किया जाये। वादी मुकदमा के विधिक उत्तराधिकारी को नोटिस इस आशय से जारी हो कि यदि उसे दण्ड के प्रश्न पर कुछ कहना हो तो न्यायालय में 10.30 प्रातः उपस्थित हो।

अभियुक्त को धारा 3/25/27 (1) आर्म्स ऐक्ट के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता है। माल मुकदमाती नियमानुसार बाद मियाद अपील निस्तारित किया जाये।

दिनांक–10 फरवरी, 2021

(जगन्नाथ मिश्र)
विशेष न्यायाधीश,
एससी/एसटी एक्ट,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ,(एस0सी0/एस0टी0एक्ट),लखनऊ।

सत्र परीक्षण संख्या–422/2007
सी0एन0आर0 नं0 यू.पी.एलकेओ.1000250–2007

सरकार .....अभियोजक

बनाम

1–भगवान बक्श यादव पुत्र शत्रोहन यादव निवासी सरसवॉ, थाना बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ। .

..... अभियुक्त।

अपराध संख्या–08/07
अंतर्गत धारा–302, भा0दं0सं0
व धारा 3(2)(v)एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट
व अ0सं0 14/07
अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट
थाना–बक्शी का तालाब,
जनपद लखनऊ।

दिनांक–11.02.2021

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई।

दोष सिद्ध अभियुक्त भगवान बक्श जेल से न्यायालय में पेश किया गया। मृतक फूलचन्द का भाई राम प्रकाश भी न्यायालय में उपस्थित है।

दण्द के प्रश्न पर दोष सिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह कथन है कि दोष सिद्ध अभियुक्त अत्यधिक गरीब है। उसके छोटे–छोटे दो बच्चे है। उनका लालन पालन करने वाला कोई नही है। अतः कम से कम दण्ड दिया जाये।

मृतक फूलचन्द के भाई ने बताया कि मृतक की दो लड़कियां नेहा व बिट्टी हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 15 साल एवं 14 साल की है। विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि मामला धारा 302 भा0दं0सं0 से संबंधित है, इस कारण अधिकतम दण्ड दिया जाये।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत न्यायालय इस मत का है कि यह प्रकरण विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में नही आता है। ऐसी स्थिति में दोष सिद्ध अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित करना न्याय संगत होगा।

आदेशः–

दोष सिद्ध भगवान बक्श यादव को धारा–302भा0दं0सं0 सपठित धारा 3(2)(v)एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट के आरोप में आजीवन कारावास का दण्ड एवं **मु0 30,000/– रूपये (तीस हजार रूपये)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दोष सिद्ध अभियुक्त को **चार माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतेगा।

अर्थ दण्ड जमा होने की स्थिति में उसका **आधा भाग अर्थात 15000/–रू0 (पन्द्रह हजार रूपये)** मृतक फूलचन्द के वारिसान को दिया जाय।

दिनांक–11 फरवरी, 2021

(जगन्नाथ मिश्र)
विशेष न्यायाधीश,
एससी/एसटी एक्ट,
लखनऊ।

निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–11 फरवरी, 2021

(जगन्नाथ मिश्र)
विशेष न्यायाधीश,
एससी/एसटी एक्ट,
लखनऊ।